

16-2-21 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित।

वकील पार्थी ने जवाब पत्र 151 C.P.C-व प्रा०
पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 C.P.C. पेश किया,
जिनकी प्रतिपत्र वकील अपार्थी को दिलाई गयी।

वकील अपार्थी ने पार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश
39 नियम 7 C.P.C-व मूल पार्थना-पत्र (श) 2
R.T.A Act) में जवाब देने से इन्कार किया/आतः

नोमर

जवाब बन्द किया जाता है मूल पार्थना-पत्र
पर बहस सुनी गयी बहस के दौरान वकील
पार्थी ने अवगत कराया कि पार्थी लाटू के गोद
गया हुआ है और T.C., जाति प्रमाण-पत्र आदि
में पार्थी के पिता का नाम लाटूराम दर्ज है।
जबकि बहस में वकील अपार्थी ने अवगत
कराया कि ~~मैट्र~~ रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं है।

इसमें पत्रावली का अद्ययपन, अवलोकन
किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार
पार्थी का पार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।



पत्रावली अधिकारी
रूपनगर (अपराध)